

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-072016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

1. AGRICULTURE

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled Employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No:Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Un-skilled workers Rs. 200/- per day or Rs. 6000/- per month.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

**2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS,
STONE BREAKING & STONE CRUSHING**

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part- File-Loose, dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-	200.00	6000/-
II/Glazier/Helper for Plumber or		

Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/ Pipelinemen /Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
-----------------------------	---------------	---------------

Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant.	217.00	6510/-
---	--------	--------

Stone Breaker/Rock carrier Breaker/Stone Carrier
 1½ inch to 2 inch Rs. 1309 cft 1 to 1¼
 inch Rs.1463 cft

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/	244.17	7325/-

E.M.E./ Driver/ Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator /Wireless Operator/Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	304.50	9135/-

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor) Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	244.17	7325/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii).Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Public Motor Transport**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

General Staff Unskilled Rs.200 /- per day, Rs.6000/- per month

(a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter, Daftri

(b) Workshop Staff (Unskilled)

Workshop Mazdoor without having any experience

Rs. 200/- per day, Rs. 6000/- per month

Semiskilled Rs.210.17 per day, Rs.6305/- per month

1. Asstt. Electrician

2. Asstt. Mechanic

3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asst. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt.Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade. Rs. 236.52 per day or Rs.7096/- per month.

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor Rs. 270.50 per day or Rs. 8115/- per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant. Rs. 236.52 per day or Rs. 7096/-per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector. Rs.252.52 per day or Rs.7576/- per month,

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs.311.25 per day or Rs. 9338/-per month

RUNNING STAFF

Per Day Per month

1.Driver	Rs.274.12	Rs. 8224/-
2.Conductor	Rs.243.60	Rs. 7308/-
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs.223.12	Rs. 6694/-
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 93.72	Rs. 2812/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid

less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i). **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv).**Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.

5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016**;

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/	Rs.200/-Daily Rs.6000/- Monthly.	Rs 174.47 Daily Rs. 5234/- Monthly

Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.

Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi, Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter, Bearer), Assistant Radio Machanic/Painter/ WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric), Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine man. Enquiry Attendent/ Telephone Attendent, ITI Certificate Holder.	Rs.215.55 Daily. Rs. 6467/- Monthly.	Rs. 189.12 Daily Rs.5674/- Monthly
Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/ Assistant Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.244.17 Daily. Rs. 7325/- Monthly.	Rs. 218.37 Daily Rs.6551/- Monthly.
/General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/ Cinema Operator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/		

Barber/Regular machine man/machinist/
Welder/Moulder/Cashier/
Clerk/(Matric) Munim /receptionist/ Waiter/ Bearer/) /
Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style
Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working
in the same trade.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head	Rs.257.12 Daily.	Rs. 232.40 daily
Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head	Rs. 7714/-	
Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Monthly	
Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)		Rs.6972/- Monthly

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little

or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

5. FORESTRY INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Forestry Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016 as under:-**

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1 Felling of trees:	Rs.200.00	Rs.6000/-
1.Lopper (Changi)	Rs.215.55	Rs.6467/-
2.Feller (Garani)	Rs.206.12	Rs.6184/-

2 Logging and sawing including timber passing:

1.Dresser (Panchani)	Rs.206.12	Rs.6184/-
2.Sawyer (Charani)	Rs.270.50	Rs.8115/-
3.Blacksmith	Rs.249.40	Rs.7482/-

3 Carriage stacking and timber passing by manual labour:

1. Mazdoor for carriage	Rs.206.12	Rs.6184/-
	Rs.206.12	Rs.6184/-
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.		

4 Carriage of timber by Aerial ropeways :

1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.270.50	Rs.8115/-	Rs.
2.Span Mistry	Rs.249.40	7482/-	

5 Carriage by water slide (pucci Nalli) dry slide (Pathru), Nullah Bhaan Darya Bahaan (River floting):

1. Mohri-wala Mistry	Rs.295.15	Rs.8855/-
2. Taru	Rs.280.27	Rs.8408/-
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs.257.12	Rs.7714/-
4. Darya-man	Rs.280.27	Rs.8408/-
5. Ghalu	Rs.227.17	Rs.6815/-
6. Jamadar	Rs.227.17	Rs.6815/-

6 Mechanised logging and timber extraction:

1.Surveyor	Rs.272.57	Rs.8177/-
2.Ski-line Operator	Rs.249.40	Rs.7482/-
3 Truck Driver	Rs.229.30	Rs.6879/-
4. Compressor Driver	Rs.229.30	Rs.6879/-

7 Clerical Staff:

1.Manager	Rs.325.12	Rs.9754/-
2.Accountant	Rs.233.97	Rs.7019/-
3.Munshi/ Typist clerk	Rs.206.12	Rs.6184/-

8 Saw Mill Workers:

1.Band Saw Mistry	Rs.249.40	Rs.7482/-
2.Supervisor	Rs.246.29	Rs.7389/-
3.Head Mistry	Rs.249.40	Rs. 7482/-
4.Boiler Driver	Rs.249.40	Rs.7482/-
5.Assistant Mistry	Rs.210.17	Rs.6305/-
6.Planner Mistry	Rs. 210.17	Rs.6305/-
7.Helper	Rs.206.12	Rs. 6184/-
8.Cutter man	Rs. 206.12	Rs. 6184/-

9 Katha Extraction:

1.Feller and Chipper	Rs.206.12	Rs. 6184/-
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs.205.55	Rs.6167/-

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs.304.50. Daily. Rs.9135.00 Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose, dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 200.00 Daily. Rs. 6000/- Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant ,	Rs. 208.47 Daily. Rs. 6254/- Monthly.

Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller/Empular, Hageman. ITI Certificate Holder.

Skilled

Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Rs. 244.17 Daily.
Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Rs. 7325/- Monthly.
Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman Rs. 304.50 Daily.
Rs. 9135/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid

less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Un-Skilled

Rs.200.00.
Daily.Rs.6000/-
Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Rs. 208.47 Daily.
Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Rs.6254/- Monthly.
Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III,

Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs.244.17
Daily.Rs.7325/-
Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I,

Rs. 304.50 Daily.
Rs.9135/- Monthly.

Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I,
Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter
Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 220.02 Daily.

Rs.6601/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary(Labour& Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

8. TEA PLANTATION

No.Shram (A)4-8/2006-Part-11

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid* the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hosing ,pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 200.00 Daily or Rs. 6000/- Monthly.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 14.48 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 11.20 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 8.12 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 14.48, Rs. 11.20 Rs. 8.12 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs.204.56 per day, Rs.6137/- per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor withering Mazdoor, Rs. 200-00 daily
relling room workers, shifting Mazdoor, Rs. 6000/- Monthly.
Fermenting room workers, tea boys,
sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, Rs. 200-00 daily
Muharirs etc. who maintain records of a field work Rs. 6000/- Monthly.
and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 345.22	Rs.10,357/- per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 244.17	Rs.7325/- per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 259.53	Rs.7786/- per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs.204.57	Rs.6137/- per month plus free benefit as admissible.
		Daily Monthly
5. Compounder		Rs.314.27 Rs.9428/-

6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)	Rs.274.12	Rs.8224/-
7. Mechanic ,	Rs.317.40	Rs.9522/-
8. Assistant Mechanic	Rs.272.57	Rs.8177/-
9. Electrician-cum- Mechanic , Grade-I	Rs.317.40	Rs. 9522/-
10.Electrician-cum- Mechanic , Grade-II	Rs.272.57	Rs.8177/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the 23-07-2016
Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS
DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 200.00 per day or Rs. 6000/- per month
Semi-skilled	Rs. 208.47 P.D. or Rs. 6254/- per month
Skilled & clerical staff	Rs. 244.17 P.D. or Rs. 7325/- per month
Highly-Skilled	Rs. 304.50 P.D. or Rs. 9135/- per month

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.
By order,

By Order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.

- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t her letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hotel and Restaurants** may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/	Rs. 200-00 Daily	Rs 174.47 Daily
	Rs. 6000.00 Monthly	Rs.5234/- Monthly

Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/
Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/
Bhishti/ Beldar/

Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker
doing un-skilled job.

SEMI-SKILLED WORKER:

Rupees

Rupees

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman
/ Assistant Baker/Cook/ Assistant
Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling
Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide
/Assistant Mistry/ Assistant Fitter/
Sewerman/ Assistant Turner /Assistant

Rs. 215.55 Daily

Rs 190.11

Rs. 6467.00 Monthly

5703/- Monthly.

Welder/ Assistant Electrician/ Assistant
Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi,
Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water
Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/
White Washer/ Pakora and Chana
Maker/Clerk (Non-Matric), Assistant Store
Keeper/Distributor and Assistant
Machinman. Enquiry Attendant, Telephone
Attendant. ITI certificate holder who are
working in the other trade .

SKILLED WORKERS :

Rupees.

Rupees.

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St
eward/Butler/

Rs. 244.17 Daily

Rs.218.37 Daily

Rs.7325.00 Monthly.

Rs. 6551/- Monthly.

Draughtsman/Telephone Operator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.)
ITI certificate holder who
are working in the same trade.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates)	Rs. 257.12 Daily	Rs. 231.46
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.7714.00 Monthly.	6944/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may

thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His

work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
6. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No.Shram (A)4-8/2006-Part-II

Dated Shimla-2

23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 200.00 per day or Rs. 6000/- per month
Semi-skilled	Rs. 215.55 P.D. or Rs. 6467/- per month
Skilled	Rs. 244.17 P.D. or Rs. 7325/- per month
Highly skilled	Rs. 257.12 P.D. or Rs. 7714/- per month

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principal Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

No.Shram(A)4-8/2006-part-11 Dated Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

- 1.The Special Secretary-Cum-Pr.PS to the Hon'ble Chief Minister H.P.
- 2.The Special PS to the Hon'ble Labour Minister,H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
- 4.All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P.Shimla.
- 5.The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004,H.P.
- 6.All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
- 7.All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
- 8.Labour Commissioner-Cum- Director of Employment,H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78(Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
- 9.Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

12. Hydro Power Projects

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant	200.00	6000/-

Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman / Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior 217.00 6510/-
JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman,
Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator,
Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior
Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter,
Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter,
Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience),
Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive
Attendant, Concrete Mixture Attendant,

Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator , Wireless

Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Electrician, Mali

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambu Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience), Dhobi. 244.17 7325/-

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience) 304.50 9135/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.

6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii).Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-II Dated:- Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t his letter No.1-16/78 (Lab) M.W/8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

13. Pharmaceuticals' Industries

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2016**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs.200.00	Rs.6000/-
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.208.47	Rs. 6254/-

Skilled

Officer (B.Pharmaceutical), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharmaceutical, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist, Stenographer.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or

relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-II Dated:- Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t letter No. 1-16/78 (Lab) M.W./M.W/8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary(Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar/Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy, Ward Boy, Masalchi.	200.00 6000/- Monthly.	174.47Daily. 5234/- Monthly

Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician,	215.55 Daily.	189.12 Daily.
Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attenda	6467.00 Monthly	5674/- Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai,	244.17 Daily.	218.37 Daily
Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi.	7325.00 Monthly	6551/- Monthly.
Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician,	257.12 Daily.	232.40 daily
Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder. Accountant, Stenographer	7714.00 Monthly	6972/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh)

No. Shram (A)4-8/2006-part-11 Dated:- Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t. his letter No. 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary(Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

15. Domestic Workers

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman,	200.00 Daily	146.00 Daily.
Washer man	6000.00 Monthly.	4380/- Monthly.

Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard, Mali	215.55 Daily.	156.88 Daily
	6467.00 Monthly	4706/- Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook, Driver	244.17 Daily.	176.92 Daily
	7325.00 Monthly	5308/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties

with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh)

No. Shram (A)4-8/2006-part-II Dated:- Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t. his letter No.1-16/78 (Lab)M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary(Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-11 dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

16. Safai Karamchari Employment

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar, Cartman,	Rs. 200.00	Rs.6000/-
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs.208.47	Rs. 6254/-

Skilled

Rs 244.17

Rs. 7325/-

Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk,
Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled

Jr. Engineer, Sanitary Inspector, Stenographer,

Rs. 304.50

Rs. 9135/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-II Dated:- Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t. his letter No. 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary(Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

17. Security Services

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “Security Services” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper, Watchman	Rs. 200.00.	Rs.6000/-
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 208.47	Rs.6254/-
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman,	Rs. 244.17	Rs.7325/-

Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator,
Data Entry Operator, Cashier.

Highly Skilled

Security Officer, Security Manager, Stenographer, Accountant Rs.304.50 Rs.9135/-

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) Un-Skilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the

occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-II Dated:- Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t. No. 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)

Under Secretary(Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

No.Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla-2 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of **“Temples and Religious Places/Dharamshalas”** may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1st April, 2016;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy, Beldar.	200.00 Daily	174.47 Daily
	6000.00 Monthly	5234/- Monthly.

Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	215.55 Daily	189.12 Daily
	6467.00 Monthly	5674/- Monthly

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	244.17 Daily	218.37 Daily
	7325.10 Monthly	6551/- Monthly

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Sten Accountant.	257.12 Daily.	232.40 daily
	7714.00 Monthly	6972/- Monthly.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid

less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-II Dated:- Shimla-2 the

23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t. his letter No. 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-8/2006-Part-II dated 23-07-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

No. Shram (A) 4-8/2006-Part-II Dated Shimla 23-07-2016

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **1st April, 2016;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act,1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A)4-8/2006-Part-File-Loose dated 16th June,2015;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 23-05-2016 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. 01-04-2016;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **1st April, 2016** as under:-

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :- Peon, Office Boy, Masalchi.	Rs.200.00	Rs. 6000/-
Semi-skilled:- Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard, Complaint Attendant.	Rs. 208.47	Rs. 6254/-
Skilled:- Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier.	Rs. 244.17	Rs. 7325/-

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer, Rs. 304.50 Rs. 9135/-
Accountant.

NOTE

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his

duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Principle Secretary(Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

No. Shram (A)4-8/2006-part-11 Dated:- Shimla-2 the 23-07-2016

Copy for information and necessary action to:-

1. The Special Secretary-Cum-Pr. PS to the Hon'ble Chief Minister, H.P.
2. The Special PS to the Hon'ble Labour Minister, H.P.
3. The PS to the Hon'ble Chief Secretary to the Govt. of H.P.
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
5. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
6. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
7. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P Shimla-171001 w.r.t. his letter No. 1-16/78 (Lab) M.W./8/07 dated 01-06-2016 with 10 spare copies.
8. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
9. Guard File.

(Savita Chauhan)
Under Secretary (Labour & Employment) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

1. कृषि

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006- पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार : 200/- रूपए प्रतिदिन या 6000/- रूपए प्रतिमास

टिप्पणी:

1. समान और इसी प्रकार के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/वृद्धि अनुज्ञेय होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी: -

अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीवि का जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4, हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
8. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण सक्रियाएं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-॥

तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सडकों" का निर्माण या रखरखाव या निर्माण सक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार:	2 रुपए	3 रुपए
भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टैम्परर ग्रेड-॥/ गलेजियर /पलम्बर या-वर्कशाप हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिए स्प्रे मैन्/पाइप लाईन मैन् /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ ट्रैक्टर / रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर का क्लीनर / मजदूर सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन् / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	200.00 रुपए	6000.00 रुपए
अर्धकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-॥/ मैसन ग्रेड-॥ / स्यूअर मैन् / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-॥ / सैनितरी फिटर ग्रेड-॥ / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन् रोडज/ क्रेन-मैन्/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन्) / क्रेन-मैन् / डिस्टैम्परर ग्रेड-॥/फिटर ग्रेड-॥ फ्लोर-पालिशर / स्टोन ड्रेसर /माली / बैल-सिंकर /	217.00 रुपए	6510.00 रुपए

वाइट-वाशर / वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड—।।, टर्नर-ग्रेड—।। / पाइप फिटर ग्रेड—।। / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर / बैटरी चार्जर / ड्रैसर (अर्हित/अनुभवी) / हैमरमैन/कुक / वल्कनाईज़र/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रौली आपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल और अधिक) / आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रैसर / पम्प-एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-।। / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट / आटो इलैक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट ।
स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-कैरियर

1-1/2"से	2"	इंच
रुपए		1309.00
		घन फुट
1 से	1/4"	इंच
रुपये		1463.00
		घन फुट
रु.. पै.		रु.. पै.

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड- ।/ मैसन ग्रेड- ।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड- ।/अप-होलसल्टर ग्रेड- । / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैनग्रेड-।। / जल आपूर्तिफिटर / कारपेन्टरग्रेड- ।। / कामप्रेसर आपरेटर / कामप्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- ।/दर्जी या टेलर ग्रेड-।। / क्रशर ड्राइवर / अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रैसर / पलम्बर ग्रेड-। / पाईप फिटर ग्रेड-।/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड—।। / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कृषिग प्लांट फिटर / (बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रिफ्रिजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर / शाफट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सक्केपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर / (बी.) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर / खलासी / जमादार / वाइन्डर / ब्लासटर ड्रिलर / बिन्च फिटर / कम्पाउन्डर / पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेबलरज साँ मिल कटर / केबल जवाइन्टर / फोरमैन ग्रेड—।। / खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कमप्रेसर / रौकर शावल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको-आपरेटर गलेजड टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रेक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट आपरेटर / वायरलैस आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-।।।

244.17

7325.00

उच्च कुशल:	रु. पै.	रु. पै.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- । / चार्ज मैन ग्रेड-। / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-। / टर्नर ग्रेड-।/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड-। / सर्वेयर / ड्राफ्ट्स-मैन / सहायक फोरमैन / मकैनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रीशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	304.50	9135.00

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग क्लर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैंरो-प्रिंटर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	244.17	7325.00

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च&कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख शिमला -2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4, हि0 प्र0 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
3 लोक मोटर परिवहन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल सामान्य कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्यर, स्वीपर, पोर्टर, दफ्तरी / रुपए रुपए
200/-प्रतिदिन 6000/-प्रतिमास

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल) रुपए रुपए
वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है । 200/-प्रतिदिन 6000/-प्रतिमास

अर्ध-कुशल रुपए 210.17 रुपए
प्रतिदिन 6305/-प्रतिमास

1. सहायक इलैक्ट्रीशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर

11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रीशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या दो वर्ष का प्रोवेशन पीरियड हो, जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन, स्प्रे पेन्टर, , इलैक्ट्रीशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या दो वर्षों का प्रोवेशन पीरियड हो जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।
उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

रु 236.52 प्रतिदिन
या
रु.7096.00
प्रतिमास

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रीशियन / गैरेज सुपर वाइजर ।
रु0 270.50 प्रतिदिन
या
रु. 8115.00
प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।
रु0 236.52 प्रतिदिन
या
रु. 7096.00
प्रतिमास

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चौकर, आशुलिपिक ए ग्रेड / स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।
रु0 252.52 प्रतिदिन
या
रु. 7576.00
प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट, हैड-क्लर्क, ऑडिटर, हैड-कैशियर ।
रु0 311.25 प्रतिदिन
या
रु. 9338.00
प्रतिमास

रंनिग—स्टाफ:

1 झाइवर	रू0 274.12 प्रतिदिन रू.8224.00 प्रतिमास
2 कन्डकटर	रू0 243.60 प्रतिदिन रू.7308.00 प्रतिमास
3 कलीनर कम कन्डकटर	रू0 223.12 प्रतिदिन रू.6694.00 प्रतिमास
4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क	रू0 93.72 प्रतिदिन रू.2812.00 प्रतिमास

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध—कुशल/कुशल/उच्च—कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

(i) अकुशल:& अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्द्ध—कुशल: अर्द्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरुप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो, भारत सरकार, शिमला-171004, हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

4. दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य स्थापनों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और
उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास, सुविधा
गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार /	रुपए 200.00 दैनिक	रुपए 174.47 दैनिक
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची	रुपए 6000.00 मासिक	रुपए 5234.00 मासिक
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर /		
पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर /		
मसेंजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट		
/ पोर्टर / भिस्ती / बेलदार / फायरमैन /		
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो		
अकुशल कार्य कर रहा हो।		

v/kdश्रयः हैडपोर्टर / पैटरीमैन / काफी	215.55 दैनिक	तथा 6467.00 रु. मासिक
टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर	189.12 दैनिक	तथा 5674.00 रु. मासिक
/ गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक लाइनमैन /		
सहायक -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट		
बिल-कलैक्टर / कनवैसर		
/ कुक / एसिस्टेंट-हलवाई /		
बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग /		
औक्शनर / माली / सीवरमैन / होटल-गार्ड		

/ सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /
सहायक-टर्नर / सहायक-वैल्डर
सहायक-इलैक्ट्रीशियन /
सहायक/सेल्जमैन / सहायक-बारबर /
धोबी / प्रैसमैन / ब्वायलर-मैन /
फिल्म-रिवाइंडर/वेटर/ वीयरर /
ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर /वाईट
वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /
कलर्क/(नॉन मेट्रिक) सहायक स्टोर
कीपर/ डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन /
इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट
'आई.टी.आई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट धारक।

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टीनस्मिथ / वाचमेकर /
रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / रुपए 244.17 दैनिक रुपए 218.37 दैनिक
ड्राइवर /सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/ रुपए 7325.00 मासिक रुपए 6551.00 मासिक
जनरल मकैनिक/हलवाई कुक/ कन्फैक्शनर
/ बेकर/ स्खवार्ड / बटलर/फिटर /
ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर /
कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर /
शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर /
सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर
/ डायर / बारबर /रेगुलर मशीनमैन /
मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/
क्लर्क (मैट्रिकुलेट)/ मुनीम /
रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वियरर स्टोर-कीपर
/ हैड वेटर / हैड-वीयरर (वेस्टरन स्टाइल
होटल)/ लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण
पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों
।

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार 257.12 दैनिक 232.40 दैनिक
/ मुख्य खजानची / हैड-कुक / 7714.00 मासिक 6972.00 मासिक
हैड-बटलर / हैड-बेकर /
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/
टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला -2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4, हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
5. वानिकी उद्योग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार		
1 वृक्षों का गिराना	रुपए 200.00	रुपए 6000.00
1 लोपर (छांगी)	रुपए 215.55	रुपए 6467.00
2 फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 206.12	रुपए 6184.00
2 लागिंग एण्ड स्वाईंग: टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 206.12	रुपए 6184.00
2. सायर (चिरानी)	रुपए 270.50	रुपए 8115.00
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 249.40	रुपए 7482.00
3 मैनुअल लेबर द्वारा कैरेज, स्टेकिंग एण्ड टिम्बर पासिंग:		
1. कैरेज के लिए मजदूर		
2. लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ टिम्बर के लिए मजदूर	रुपए 206.12	रुपए 6184.00
	रुपए 206.12	रुपए 6184.00
4 एरियल रोप वेज द्वारा कैरेज ऑफ टिम्बर:		
1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 270.50	रुपए 8115.00
2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 249.40	रुपए 7482.00

5

कैरेज बाई वाटर स्लाइड (पक्की नाली) ड्राई स्लाइड
(पत्थरु) नालाबहान दरिया बहान (रीवर फलोटींग):

1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 295.15	रुपए 8855.00
2. तारु	रुपए 280.27	रुपए 8408.00
3. एसिसटेंट मिस्त्री (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 257.12	रुपए 7714.00
4. दरियामैन	रुपए 280.27	रुपए 8408.00
5. घालू	रुपए 227.17	रुपए 6815.00
6. जमादार	रुपए 227.17	रुपए 6815.00

6

मकैनाइज्ड लोडिंग तथा टिम्बर एक्सट्रैक्शन:

1. सर्वेयर	रुपए 272.57	रुपए 8177.00
2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 249.40	रुपए 7482.00
3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 229.30	रुपए 6879.00
4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 229.30	रुपए 6879.00

7

क्लैरिकल स्टाफ :

1. मैनेजर	रुपए 325.12	रुपए 9754.00
2. एकाउन्टेंट	रुपए 233.97	रुपए 7019.00
3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 206.12	रुपए 6184.00

8

सॉ मिल वर्कर :

1. बेंड सॉ मिस्त्री	रुपए 249.40	रुपए 7482.00
2. सुपरवाइजर	रुपए 246.29	रुपए 7389.00
3. हेड मिस्त्री	रुपए 249.40	रुपए 7482.00
4. वायलर ड्राइवर	रुपए 249.40	रुपए 7482.00
5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 210.17	रुपए 6305.00
6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 210.17	रुपए 6305.00
7. हेल्पर	रुपए 206.12	रुपए 6184.00
8. कटर मैन	रुपए 206.12	रुपए 6184.00

9

कत्था एक्सट्रैक्शन :

1. फ़ैलर तथा चिपर	रुपए 206.12	रुपए 6184.00
2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 205.55	रुपए 6467.00

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी),
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 304.50 दैनिक रुपए 9135.00 मासिक

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

&18&

(iv) उच्च-कुशल%उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला -2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4, हि0 प्र0 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
6.रसायन एवं रसायनिक उत्पाद

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख : शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अपैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अपैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अपैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें	
	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल:	200..00	6000.00
अर्धकुशल:	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर,एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कलटीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलटमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-।, मशीन लेवलर, सलैक्टर,कटर कम मार्किट सैलर/ अम्पुलर,हैगमैन. आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक ।	208.47	रूपए 6254.00
कुशल:	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर मैसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-।।,वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन,ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर । आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।	244.17	रूपए 7325.00

उच्च-कुशल:

दैनिक मासिक

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए
304.50 9135.00

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) उच्च-कुशल%उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना
7.इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योगों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अपैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अपैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अपैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल	200.00	6000.00
अर्धकुशल:		
टेपर ग्रेड-।।।, र्टनर ग्रेड-।।।, ड्रिलर ग्रेड-।।।, रोमर ग्रेड-।।।, शेयर मैन ग्रेड-।।।, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड-।।।, ब्रजर ग्रेड-।।।, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड-।।।, प्रैस आपरेटर ग्रेड-।।।, स्प्रे पेंटर ग्रेड-।।।, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-।।।, असैम्बलर ग्रेड-।।।, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-।।।, मैटिरियल चैकर, फिटर फ्रेम, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर इलैक्ट्रोपलेटर ग्रेड-।।।, मोपर ग्रेड-।।।, ग्राइंडर ग्रेड-।।।, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड-।।।, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड-।।।, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड-।।।, फीडर ग्रेड-।।।, डाइमेकर ग्रेड-।।।, बैल्डर ग्रेड-।।।, टिनस्मिथ ग्रेड-।।।, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड-।।।, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड-।।।, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड-।।।, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड।।।, आयलमैन।	दैनिक रूपए 208.47	मासिक रूपए 6254
कुशल:		
टेपर ग्रेड-।।, र्टनर ग्रेड-।।, ड्रिलर ग्रेड-।।, शैपर ग्रेड-।।, शैपर मैन ग्रेड-।।, स्लाटरमैन ग्रेड-।।, मकैनिक आपरेटर/ ब्रजर ग्रेड-।।, लाईनर ग्रेड-।।, स्प्रे पेंटर ग्रेड-।।, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-।।, प्रैस आपरेटर ग्रेड-।।, असैम्बलर	दैनिक रूपए 244.17	मासिक रूपए 7325

ग्रेड-॥,टेलर ग्रेड-॥,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-॥, मोपर ग्रेड-॥,ग्राइंडर ग्रेड-॥,
हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-॥,श्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-॥,बुक स्करयू
मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, फिटर ग्रेड-॥,
कारपेंटर ग्रेड/पैटरन मेकर ग्रेड-॥, डाईमेकर ग्रेड -॥, साइस्टर ग्रेड-॥,
वैल्डर ग्रेड-॥, टिनस्मिथ ग्रेड-॥, हैमरमैन ग्रेड-॥, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-॥,
टूलसैटर ग्रेड-॥, ईलैकटरीकल लाईनमैन ग्रेड-॥, ईलेक्ट्रीशन ग्रेड-॥,
आरमैचर वाईडर और क्वाईल वाईडर ग्रेड-॥, केबल ज्वाईटर ग्रेड-॥, वाऊचर
इंस्पैक्टर ग्रेड-॥, लिस्टर डीजल ईन्जन ड्राईवर ग्रेड-॥, मोल्डर
ग्रेड-॥,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत
है ।

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड-॥,ग्राइंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, शेपर मैन ग्रेड-॥, सलाटरमैन ग्रेड-॥, मिलर ग्रेड-॥, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-॥, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-॥,फिटर ग्रेड-॥, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-॥,डाईमेकर ग्रेड-॥,एन्ग्रेवर ग्रेड-॥, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-॥,डाईसैटर ग्रेड-॥,टूल सैटर ग्रेड-॥,इलैक्ट्रीशियन ग्रेड-॥ ।	दैनिक रूपए 304.50 दैनिक रूपए 220.00	दैनिक रूपए 9135 दैनिक रूपए 6601.00
---	--	---

क्लेरिकल स्टाफ:

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य

में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-।।

तारीख: शिमला -2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट- II तारीख : शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित मजदूरी	न्यूनतम
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, छार्टिंग, कांट -छांट करने, गुडाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में नियोजित अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात ।	रूपए 200.00 दैनिक	रूपए 6000.00 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला—12 किलोग्राम से अधिक प्रोत्साहन के रूप में चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 14.48 रू0 प्रतिकिलो, अतिरिक्त मिलेंगे ।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 11.20 रू0 प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 8.12 रू0 प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे । पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी', 'सी' ग्रेड के लिए 14.48 रू0, 11.20 रू0 और 8.12 रू0 प्रति किलो की दर से मिलेंगे ।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को 204.56 रू0 प्रतिदिन, 6137.00 रू0 प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना : रूपए 200.00 दैनिक और रूपए 6000 मासिक
इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला) मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, सिपिंग मजदूर, विदरिंग, फर्मेंटिंग
रूम कर्मकार, टी ब्वाएज, सार्टज, टी-मेकर्स, टाइम कीपर तथा कौरियर (झाली) शामिल हैं ।

प्लांटेशन : रूपए 200.00 रूपए दैनिक और रूपए 6000.00 मासिक

क्लीनर असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड बर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा
इसमें स्वीपर,माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ कार्यालय स्टाफ

1. लेखाकार रूपए 345.22 प्रतिदिन रूपए 10,357.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रूपए 244.17 प्रतिदिन रूपए 7325.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रूपए 259.53 प्रतिदिन रूपए 7786.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं
जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपडासी,
चौकीदार/
चौधरी रूपए 204.57 प्रतिदिन रूपए 6137.00 प्रतिमास इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो
लिपिक जो अनुज्ञेय हैं ।

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रूपए 314.27	रूपए 9428.00
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	रूपए 274.12	रूपए 8224.00
7. मकैनिक	रूपए 317.40	रूपए 9522.00
8. एसिसटैन्ट मकैनिक	रूपए 272.57	रूपए 8177.00
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।	रूपए 317.40	रूपए 9522.00
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।।	रूपए 272.57	रूपए 8177.00

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या
अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां
मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं
किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग
हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

9.कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड— (ट) में यथापरिभाषित
विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापन

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख : शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-2 के खण्ड—(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अपैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अपैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अपैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 200.00 प्रतिदिन या रुपए 6000.00 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 208.47 प्रतिदिन या रुपए 6254.00 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रुपए 244.17 प्रतिदिन या रुपए 7325.00 प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 304.50 प्रतिदिन या रुपए 9135.00 प्रतिमास

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

10.होटल और रैस्टोरेंट

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख : शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अप्रैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग	जहांकोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां आवास खाना,चाय आदि की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है	संयुक्त और
अकुशल:	1.	2.	3.

हैल्पर / चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / मसंजर / क्लार्क / अटैंडेंट / पोटर / भिश्ती / वेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामगार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।	रुपए 200.00 दैनिक	रुपए 174.47 दैनिक	
	रुपए 6000.00 मासिक	रुपए 5234.00 मासिक	

अर्ध कुशल कर्मकार:

पैंट्रीमैन / काफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक वाईंडर / सटिचर / रूलिंग / कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्ट्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट	रुपए 215.55 दैनिक	रुपए 190.11 दैनिक	
	रुपए 6467.00 मासिक	रुपए 5703.00 मासिक	

बैल्डर/ असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन/ असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन / वॉयलरमैन/फिल्म रिवाइंडर / ब्राहरवीअरर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/वाइट वॉशर/पकौडा और चना मेकर/कलर्क (नॉनमैटिक)/असिस्टेंट स्टोर कीपर/डिस्टीब्यूटर और असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वाअरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ आई0टी0आई0 प्रमाण धारक जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक/ कन्फैक्शनर / रूपए 244.17 दैनिक रूपए 218.37 दैनिक
बेकर/ स्टीवरर्ड / बटलर/ ड्राफट्समैन / रूपए 7325.00 मासिक रूपए 6551.00
टेलीफोन ओपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर/ मासिक
वियरर/ स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड
वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0
प्रमाण धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट रूपए 257.12 दैनिक रूपए 231.46 दैनिक
/ हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर रूपए 7714.00 मासिक रूपए 6944.00 मासिक
/ हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर
/ हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
/ सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।। तारीख: शिमला

23-07-2016

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " निजी शैक्षणिक संस्थानों" निजी शैक्षणिक संस्थानों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अपैल, 2016 से संशोधित किया जाए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी ।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे प्रथम अपैल, 2016 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अपैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रु0 200.00 प्रतिदिन या	रु0 6000.00 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रु0 215.55 प्रतिदिन या	रु0 6467.00 प्रतिमास
कुशल	रु0 244.17 प्रतिदिन या	रु0 7325.00 प्रतिमास
उच्च कुशल	रु0 257.12 प्रतिदिन या	रु0 7714.00 प्रतिमास

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

(i) अकुशल% अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट- II

तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01.04.2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम

मजदूरी

दैनिक

मासिक

चपडासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटेन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर केन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटेन्डेन्ट, जनरेटर अटेन्डेन्ट, टीएम अटेन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का

रु.200.00

रु.6000

सहायक, लेबोद्वरी असिस्टेन्ट का सहायक, गोज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, ईन्जन फिटर का सहायक, डीजल ईन्जन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, कलीनर—कम—बेलदार, वॉशर मैन / वाशर मेड, ऑफिस वॉय, कले कलीनर, सहायक ब्रूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मेस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

(2) अर्ध—कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर,, कनिष्ठ रु.217.00 रु. 6510
जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटेन्डेंट, जनरेटर अटेन्डेंट, लोकोमोटिव अटेन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर अटेन्डेंट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोद्वरी सहायक, गोज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सरवेयर, कार्यालय अटेन्डेंट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कंप्लैट अटेन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

(3) कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बेचिंग प्लांट रु.244.17 रु.7325
ऑपरेटर, कशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनटरी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक / जम्भू ऑपरेटर,

मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पैन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टींग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाईड्रॉ क्रेन ऑपरेटर, सरवेयर, सक्रेप ऑपरेटर, बोबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर,स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कर्लक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), धोबी ।

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट,खलासी (8 वर्ष से उपर का अनुभव) ।

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।

- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-11 तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोर्टरि हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग हैल्पर, चपडासी, ।	रु.200	रु.6000

(2) अर्ध-कुशल कर्मकार :-

तकनिशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, ।	रु.208.47	रु.6254
--	-----------	---------

(3). कुशल कर्मकार :-

आफिसर (बी फार्मा), टेकनीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिकयोरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क,	रु.244.17	रु.7325
---	-----------	---------

कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।

(4) उच्च कुशल कर्मकार :-

सेल्ज आफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन रु.304.50 रु.9135/-

इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा,

एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट, स्टेनो

ग्राफर ।

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह

व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

अधिसूचना

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और
उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

(1) अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वाच मैन, चपडासी,	रु.200.00 दैनिक	रु.174.47 दैनिक
रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय, वार्ड ब्वाय, मसालची।	रु.6000 मासिक	रु.5234 मासिक

(2) अर्ध- कुशल कर्मकार :-

क्लीनिक अटेन्डेंट, एसीसटेन्ट लैबोर्टरी	रु.215.55 दैनिक	रु.189.12 दैनिक
तकनिशियन, सिकयोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन	रु.6467 मासिक	रु.5674 मासिक
थियेटर एसीसटेन्ट, एसीसटेन्ट स्टोर कीपर,		
एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।		

(3). कुशल कर्मकार :-

रिसेप्सनिशट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोर्टरी	रु. 244.17 दैनिक	रु.218.37 दैनिक
--	------------------	-----------------

तकनिशियन, एक्सरे तकनिशियन, एएनएम, ट्रेड रु. 7325मासिक रु.6551मासिक
दाई, इलैक्ट्रीशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर,
एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर,
ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर
एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट,
ऑपरेशन थियेटर तकनिशियन, आई
रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क,
कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर,
फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक,धोबी ।

(4) उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिकयोरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ रु. 257.12दैनिक रु.232.40दैनिक
इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ तकनिशियन, वरिष्ठ रेडियो रु. 7714 मासिक रु.6972मासिक
ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो
ग्राफर ।

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-11

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-1।

तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

15. घरेलू कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कामगार"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है	जहां भोजन,चाय नहीं और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
(1) अकुशल कर्मकार:- हेल्पर,आया, कलीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन ।	रु. 200.00 दैनिक रु. 6000मासिक	रु.146.00 दैनिक रु.4380मासिक
(2) अर्ध- कुशल कर्मकार :- सिक्योरिटी गार्ड, माली ।	रु. 215.55दैनिक रु. 6467मासिक	रु.156.88 दैनिक रु.4706मासिक
(3) कुशल कर्मकार :- कुक, चालक	रु. 244.17दैनिक रु. 7325मासिक	रु.176.92 मासिक रु.5308मासिक

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल% अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट- II

तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
(1) अकुशल कर्मकार:- स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार, कार्टमैन।	दैनिक रु.200.00	मासिक रु.6000/-
(2) अर्ध- कुशल कर्मकार :- वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट।	रु.208.47	रु.6254/-
(3) कुशल कर्मकार :- चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर।	रु.244.17	रु.7325/-
(4) उच्च कुशल कर्मकार :- कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर, स्टेनो ग्राफर,	रु.304.50	रु. 9135/-

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट- II

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-1।

तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज, तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

(1) अकुशल कर्मकार:- हेल्पर, वॉच मैन ।	दैनिक रु.200.00	मासिक रु.6000/-
(2) अर्ध-कुशल कर्मकार:- सिकयोरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, ।	रु.208.47	रु.6254/-
(3) कुशल कर्मकार :- सिकयोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।	रु.244.17	रु.7325/-
(4) उच्च कुशल कर्मकार :- सिकयोरिटी आफिसर, सिकयोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।	रु.304.50	रु.9135/-

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर से बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
- 6 गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
- 7 हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जन जातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) [4-8/2006-पार्ट-11](#)

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-॥

तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट फाईल-लूज तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

और उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और
उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

(1) अकुशल कर्मकार :-

चपड़ासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय, बेलदार ।

रु.200.00 दैनिक

रु.174.47 दैनिक

रु.6000. मासिक

रु.5234 /- मासिक

(2) अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट,

रु.215.55 दैनिक

रु.189.12 दैनिक

टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट,

रु.6467 /- मासिक

रु.5674 /- मासिक

सेवादार, सिकयोरिटी गार्ड, माली, एसीसटेन्ट

स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट।

(3) कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, रु.244.17 दैनिक रु. 218.37 दैनिक
कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, रु.7325.00 मासिक रु.6551 मासिक
क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,
कैशियर ।

(4) उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन रु.257.12 दैनिक रु.232.40 दैनिक
गायक, स्टेनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट, रु.7714/- मासिक रु.6972 मासिक

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल/अर्द्ध-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-।।

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 9 गार्ड फाईल।

(सविता चौहान)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-11

तारीख शिमला-2,

23-07-2016

अधिसूचना

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कामगारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को प्रथम अप्रैल, 2016 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-11 तारीख 16 जून, 2015 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 23.05.2016 को हुई थी, जिसमें समस्त अनुसूचित नियोजन में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 को लागू करने की सिफारिश की गई थी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख प्रथम अप्रैल, 2016 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

(1) अकुशल कर्मकार:- चपडासी, आफिस व्वाय, मसालची ।	न्यूनतम दैनिक रु.200.00	मजदूरी मासिक रु.6000/-
(2) अर्ध-कुशल कर्मकार :- केश कलेक्टर, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिकयोरिटी गार्ड,कम्पलेन्ट अटेन्डेड ।	रु.208.47	रु.6254/-
(3) कुशल कर्मकार :- इलैक्ट्रीशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर ।	रु.244.17	रु.7325/-
(4) उच्च कुशल कर्मकार :- सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर, एकाउन्टेन्ट ।	रु.304.50	रु.9135/-

टिप्पणी:

- 1, एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल% अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविका जन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उससे अपेक्षा उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल% उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए) 4-8/2006-पार्ट-11

तारीख: शिमला-2

23-07-2016

- 1 विशेष सचिव एवं प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 2 विशेष निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 3 निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 5 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 हिमाचल प्रदेश ।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 7 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78 (लैब) एम0डब्ल्यू0/8/07 दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 8 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 9 गार्ड फाईल ।

(सविता चौहान)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार